राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 481/2025

राधेश्याम मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, कृषि एवं उद्यान विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. पांचू लाल मीणा, उप निदेशक, उद्यान, सवाई माधोपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 17.01.2025
आदेश की दिनांक : 10.02.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री भरत यादव, अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में उप निदेशक कृषि अनुसंधान के पद पर उप निदेशक उद्यान, बूंदी में कार्यरत है। उनका कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से उप निदेशक उद्यान (अनुसंधान), पपीता सीओई, दौसा किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी की नियुक्ति कृषि अधिकारी के पद पर हुई थी और उनका तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण कृषि अनुसंधान उप निदेशक के पद पर किया गया है। अपीलार्थी को अनुसंधान वाले पद पर स्थानांतरण किया जाना उचित नहीं है और अपीलार्थी का स्थानांतरण गलत रूप से पद विरूद्ध किया गया है, जो विधि एवं नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी उप निदेशक उद्यान के पद पर कार्यरत है और उप निदेशक उद्यान के पद पर ही अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी का स्थानांतरण समान पद पर किया गया है, जिसमें कोई प्रथम दृष्टया त्रुटि नहीं पाते हैं। इस प्रकार आलोच्य स्थानांतरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित प्रकट नहीं होता है। यह नियोक्ता का अधिकार है कि किस कार्मिक की सेवायें कहां पर ली जानी है। अधिकरण द्वारा ऐसे मामले में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील में कोई बल प्रकट नहीं होता है। अतः अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण ग्राह्यता के प्रक्रम पर मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद् द्वारा खारिज की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष